



भारत
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६




पत्रावली क्रमांक:07(ii)01/CS/FPAuction/2023-24 4587 दिनांक: 23.11.2023

संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 90 फल वृक्षों के फलों की खुली नीलामी (दिनांक : 05.12.2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त:-

1. संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 90 फल वृक्षों के फलों की नीलामी की जानी है।
2. आंवला वृक्ष, जिनके फलों की नीलामी की जानी है, को प्रक्षेत्र के बगीचे में चिन्हित किया गया है। इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी प्रक्षेत्र/Aonla Block से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात सफल बोलीदाता से तुड़ाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुड़ाई शुरू की जावेगी।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति में दूसरी अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सफल बोलीदाता (ठेकेदार) को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान आंवला वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचें/वृक्षों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। आंवला बगीचें या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. संस्थान से अनुबंध के पश्चात आंवला फलों के तुड़ाई का कार्यादेश जारी होने के दो माह में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक आंवला फलों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में आंवला फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने के लिये अनुमति पत्र (गेट पास) लेना अनिवार्य है।

पृष्ठ संख्या 2 पर जारी...

10. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये आंवला प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम आंवला फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
11. फलों की तुड़ाई, भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
12. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पंक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
13. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।


 सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीववाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीववाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछवाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मैनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
- ✓ 12. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड कर सूचित करें।

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६



त्रावली क्रमांक:07(ii)01/CS/ Auction/2011/

दिनांक: 23.12.2023

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 90 फल वृक्षों के फलों की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक 05.12.2023 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट www.ciah.icar.gov.in एवं CPP NIC Portal पर देख सकते हैं।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी